न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 13 / 2017
दायर दिनांक : 01 / 02 / 2022
निर्णय दिनांक : 11 / 11 / 2025

उनवान

1 अभयसिंह पिता गिरधारी सिंह राजपूत निवासी दरीबा तहसील भूपालसागर

वादी

बनाम

1 मोहनसिंह पिता दौलतसिंह राजपूत निवासी दरीबा तहसील भूपालसागर
2 मु0 अणछाई बाई पिता सुरतराम रंगास्वामी निवासी अमरपुरा तहसील भूपालसागर
3 मु0 प्रतापी देवी पत्नी मंगलदास रंगास्वामी निवासी अमरपुरा तहसील भूपालसागर
4 तहसीलदार भूपालसागर

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–53 राजस्थान टेनेन्सी अधिनियम

उपस्थिति : 1. श्री मनोज जाट, वादी अधिवक्ता

:: निर्णय ::

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत् बंटवाडा आराजियात अंतर्गत धारा– 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1956 का पेश किया । जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैः–

यह कि ग्राम अमरुपरा पटवार हल्का मूरला में वादी व प्रतिवादी संख्या एक से तीन संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात स्थित है जिसके आ0न0 48 रकबा 0.13 है0 आ0स0 49 रकबा 0.15 है0 आ0स0 50 रकबा 0.34 है0 आ0स0 51 रकबा 0.50 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1. 12 है0 स्थित है चालू जमाबंदी वादपत्र के साथ पेश है। कालम सं0 1 में वर्णित आराजियात एवं प्रतिवादी स0 1 से 3 के संयुक्त दर्ज होने और उक्त आराजियात का बटवाडा नही होने से विवाद बना रहता है तथा लगान आदि जमा कराते वक्त भी विवाद रहता है इस कारण से वादी ने प्रतिवादी सं0 1 से 3 को बटवाडा करा कर पत्थर गाढने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी स0 1 से 3 तैयार नही हुए इस कारण से बटवाडा आराजियात की डिकी पक्षवादी विरूद्ध प्रतिवादी के जारी फरमाई जाकर के मुझ वादी 1 / 2 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी स0 1 का 1 / 6 प्रतिवादी सं0 2 का 1 / 6 एवं प्रतिवादी सं0 3 का 1 / 6 हक हिस्सा कब्जे अनुसार कुलिया आराजियात का बटवाडा कराया जाकर के अलग से खाताबंदी एवं लगानबंदी कायम कराए जावें। वादगत आराजियात पर वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 से 3 के बीच मौके पर बटवाडा कर रखा है अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर के काश्त कर रहे है लेकिन दोनो पक्षो के बीच सीमा विवाद को लेकर के विवाद रहता है इसलिए मौके पर पुख्ता सीमांकन करा पत्थरगाढ करके बटवाडा मिट्स एण्ड बोण्डस के आधार पर कराया जाना आवश्यक है जिससे भविष्य में कोई विवाद नही रहे । वादी के द्वारा प्रतिवादी 1 से 3 को दिनांक 17.01.2017 को आपसी सहमति से बटवाडा करने को कहा लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हेतु तैयार नही हुए इसलिए वाद हेतुक दिनांक 17.01.2017 से जारी होकर निरंतर जारी है। प्रतिवादी संख्या 4 भूमिधारी होने से फोरमल पक्षकार बनाया गया है प्रतिवादी सं0 4 लोक सेवक होने के कारण उन्हे धारा 80 जा0दी0 का नोटिस देना आवश्यक है मगर वाद आवश्यक प्रकृति का होने से वाद पत्र पेश करने की स्वीकृति हेतु धारा 80– 2 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है।

इस बाबत् प्राथमिक डिक्री [illegible] का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा हेतु प्राथमिक डिक्री इस न्यायालय के नि[illegible] 06.10.2017 के द्वारा तहसीलदार, भूपालसागर को बंटवाड़ा प्रस्ताव मौके [illegible] तैयार कर न्यायालय में भिजवानें हेतु भेजा गया। तहसीलदार, [illegible] प्रतिवादी को अग्रिम सूचना पत्र जारी कर पटवार हल्का एवं भू अ. नि[illegible] राजस्व रिकार्ड व मौका निरीक्षण कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.11.25 12:07:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

बंटवारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पत्रांक/भू.अ./2025/1171 दिनांक 09.10.2025 से प्रेषित किया गया, जो शामिल पत्रावली है। उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील उभयपक्ष ने निवेदन किया कि उक्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार बंटवारा करने में कोई आपत्ति नहीं है एवं अंतिम डिक्री जारी की जावे। वकील वादी की बहस व बंटवाड़ा रिपोर्ट के अनुसार निम्नानुसार भूमि बंट में रखी जाकर राजस्व रेकार्ड में इंद्राज करने के आदेश दिये जाते है। फर्द मौका व बंटवाड़ा प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा –

क्र.सं	काश्तकार	आ.न.	रकबा	लगान
1	श्री अभयसिंह पिता गिरधारी राजपूत	51 50/1	0.5000 0.0600	7.50 0.90
	योग	2	0.5600	8.40
2	अणछाई बाई पिता सुरतराम रंगास्वामी 1/3 कैलाश कुंवर पत्नि लक्ष्मण सिंह राजपूत 1/3 रहन संतोष कुंवर पत्नि विजयसिंह राजपूत 1/3 निवासी दरीबा	48 49 50	0.1300 0.1500 0.2800	0.65 0.75 4.20
	योग	3	0.5600	5.60

इस आशय की अंतिम डिक्री जारी होकर तहसीलदार भूपालसागर को राजस्व रेकार्ड में इंद्राज हेतु भेजी जावे। इस बाबत् पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.11.25 12:07:58 IST
Reason: SelfAttested